

सामान्य निर्देश GENERAL INSTRUCTIONS:

| | |
|--------|---|
| (i) | <p>जाँच / शारीरिक परीक्षा हेतु आने वाले उम्मीदवार अपने साथ बुलावा पत्र को अवश्य लाएं अन्यथा उम्मीदवार को जाँच / शारीरिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>Candidates are required to bring the call letter along with them for the Screening / Physical Test failing which the candidate will not be allowed to appear for the Screening / Physical Test.</p> |
| (ii) | <p>बाहर से आने वाले उम्मीदवारों को उपरोक्त जाँच / शारीरिक परीक्षा में उपस्थित होने हेतु मुंबई में रुकने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।</p> <p>Outstation candidates will have to make their own arrangements for their stay in Mumbai for attending the Screening / Physical Test.</p> |
| (iii) | <p>उम्मीदवारों से अनुरोध है कि स्थान पर जाँच परीक्षा के आरंभ होने से 30 मिनट पहले पहुँच जाए। Candidates are requested to be present at the venue at least 30 minutes before the commencement of the Screening Test.</p> |
| (iv) | <p>जाँच परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि में, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। The date fixed for the Screening Test cannot be changed under any circumstances.</p> |
| (v) | <p>उम्मीदवार को केवल परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति है।</p> <p>Candidates will be allowed to enter the Examination Centre only.</p> |
| (vi) | <p>जाँच परीक्षा के दौरान कलक्यूलेटर, मोबाइल फोन और / या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। Use of calculator, mobile phone and / or other electronic devices are not allowed during the Screening Test.</p> |
| (vii) | <p>कृपया बॉल पॉइंट पेन (काला/नीला) लाएं। Please bring ball point pen (black or blue)</p> |
| (viii) | <p>चयन/लिखित परीक्षा/ शारीरिक / कौशल/ट्रेड परीक्षा/साक्षात्कार के अवसर पर, उम्मीदवार को पहचान प्रमाण के लिए दस्तावेज (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर कार्ड की मूल प्रति), विज्ञापन में उल्लिखितानुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल एवं साक्ष्यांकित प्रतियों सहित ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश कार्ड का प्रिंटआउट लाना चाहिए (वेबसाइट https://dcsem.mahaonline.gov.in से डाऊनलोड किया जाना है)।</p> <p>At the time of Screening/Written Test/Physical / Skill/Trade Test/ Interview, candidates must bring a printout of the online application and admit card (to be downloaded from the website https://dcsem.mahaonline.gov.in) alongwith the document in support of identity proof (Aadhar Card/ PAN Card/ Driving License/Voter Card in original), original and attested copies of all relevant documents as mentioned in the advertisement.</p> |
| (ix) | <p>जाँच परीक्षा को केवल पास करने से उम्मीदवार को नौकरी मिलने के अधिकार की पुष्टि नहीं होती है। Mere passing the Screening Test does not confer any right on the candidate for employment.</p> |
| (x) | <p>उम्मीदवार को पहचान प्रमाण/सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों मेंसे किसी एकको लाना होगा।</p> <p>The candidates must bring any one of the following documents as identity proof:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ड्राइविंग लाइसेंस Driving Licence2) मतदानकार्ड Voter ID Card3) आधारकार्डAadhaar Card4) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र Identity Card issued by University/College5) पैनकार्ड PAN Card |
| (xi) | <p>जाँच/लिखित परीक्षा/ शारीरिक / कौशल/ट्रेड परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियमानुसार सबसे छोटे मार्ग का द्वितीय श्रेणी का आने-जाने का रेल किराया (टिकट प्रस्तुत करने पर) यात्रा भत्ता के रूप में दिया जायेगा। तथापि, जाँच/लिखित परीक्षा/कौशल/ट्रेड परीक्षा/साक्षात्कार में भाग लेने के लिए यात्रा करने हेतु जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारगण पहले से ही केन्द्र/राज्य सरकार सेवा, केन्द्र/राज्य सरकार निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय सरकारी संस्थान एवं पंचायत में कार्यरत हैं और रेलवे से यात्रा संबंधी रियायत ले चुके हैं, उनके लिए यात्रा भत्ता स्वीकार्यनहीं होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिप्रमाणपत्रकीस्व- प्रति एवं पेपर टिकट/ई-टिकट की प्रस्तुति पर ही यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति की जाएगी।</p> |

| | |
|-------|---|
| | <p>उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट www.dcsem.gov.in अथवा https://dcsem.mahaonline.gov.in से यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति फॉर्म डाउनलोड करें और स्क्रीनिंग परीक्षण के समय उसमें उल्लिखित सभी बाड़ों के साथ विधिवत भरे हुए फॉर्म को लाएं।</p> <p>SC/ST outstation candidates called for Screening/Written Test/Physical / Skill/Trade Test/Interview which will be held in Mumbai will be paid to and fro Travelling Allowance of second class railway fare by the shortest route (subject to production of tickets) as per rules. However, Travelling Allowance is not admissible to those SC/ST candidates who are already in Central/ State Government services, Central/State Government Corporations, Public Sector Undertakings, Local Government Institutions and Panchayat and the concession availed from Railways, if any, for undertaking journey for attending Screening/Written Test/Skill/Trade Test/Interview. TA reimbursement will be subject to production of self-attested copy of SC/ST Caste Certificate and Paper Tickets/e-ticket.</p> <p>Candidates are advised to download Travelling Allowance reimbursement form from DCSEM website www.dcsem.gov.in or https://dcsem.mahaonline.gov.in and bring duly filled in form along with all enclosures stated therein at the time of Screening test.</p> |
| (xii) | <p>केन्द्र/राज्य सरकार, सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय में काम कर रहे व्यक्ति को कौशल/ट्रेड परीक्षा/साक्षात्कार के समय “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>Candidates working under the Central/State Government, Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies etc. are required to submit “NO OBJECTION CERTIFICATE” at the time of Skill/Trade Test/Interview.</p> |